स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 349, दिनांक 31–10–2021

भारतीय सेना मे भर्ती कराने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कूटरचना कर प्रपत्रों मे हेरा/फेरी कर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार।

दिनांक 31–10–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को भारतीय सेना मे भर्ती कराने के नाम पर लाखों रूपये लेकर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना अजय पाठक को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– अजय पाठक पुत्र शिव कुमार पाठक नि0 ग्राम– सीतारामपुर, थाना– मुन्शीगंज, अमेठी।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 01 अदद आधार कार्ड
2– 01 अदद इण्डियन आर्मी का ई–टिकट धर्मेन्द्र यादव के नाम से
3– 01 अदद इण्डियन आर्मी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट का लेटर धर्मेन्द्र यादव के नाम से
4– 01 अदद ई–स्टाम्प
5– 01 अदद कॉल लेटर
6– 01 अदद आर्डिनेन्स फैक्ट्री का नियुक्ति पत्र (संदीप यादव नाम से)
7– 01 अदद एम्पलाई कार्ड (संदीप यादव नाम से)
8– 01 अदद ओएफबी कानपुर छायाप्रति
9– 01 अदद मोबाइल सैमसंग
10–02 अदद मार्कशीट छायाप्रति (हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट शिवश्याम शुक्ला के नाम की)
11–02 अदद मार्कशीट छायाप्रति (हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट वीपत यादव के नाम की)
12–रू0 3,900/– रूपया नकद

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/ स्थान/समयः–</u>

दिनांक 31–10–2021/ संकल्प होटल के पास थाना गौरीगंज, अमेठी/ समय 06:55 प्रातः

विगत काफी दिनो से एसटीएफ उ0प्र0 को सूचनायें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग सेना मे भर्ती के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कूटरचना कर भोले भाले लोगो से ठगी कर रहे है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन एवं छानबीन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 31–10–2021 को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना क्षेत्र गौरीगंज मे संकल्प होटल के पास सेना मे भर्ती के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कर कूटरचना कर प्रपत्रों मे हेराफेरी करने वाला 01 व्यक्ति, जिस पर थाना मुन्शीगंज मे मु0अ0सं0 255/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि पंजीकृत है, कहीं जाने की फिराक मे खड़ा है, यदि

शीघ्रता की जाये तो पकडा जा सकता है। उक्त सूचना पर उ0नि0 पवन कुमार सिंह, आरक्षी आलोक कुमार पाण्डेय, आरक्षी शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, आरक्षी श्रीकृष्ण गिरि की टीम द्वारा शीघ्रता कर ज्ञात हुये स्थान पर पहुॅच गये तथा घेराबन्दी कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुये उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि यह जो प्रपत्र बरामद हुये है इसको सेना मे भर्ती कराने के नाम पर कूटरचना कर तैयार किया गया है। इस काम मे मेरे साथ उत्कर्ष उर्फ गौरव सिंह पुत्र तालुकदार सिंह नि0 बालमुकुन्दपुर थाना पिपरपुर, अमेठी, विजय सेन सिंह उर्फ रिन्कू सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह नि0 बेलगरा, थाना जयसिंहपुर, सुलतानपुर तथा मनोज सिंह पुत्र दलश्रृगांर सिंह नि0 बिजुरी, थाना जयसिंहपुर, सुलतानपुर भी शामिल है। हम लोग अपने आस–पास के गांव से भोले भाले नवयुवकों को सेना मे भर्ती कराने का लालच देकर 08 या 09 लाख रूपये प्रति अभ्यर्थी लेते है, जिसे हम लोग आपस मे बांट लेते है। हम लोगो द्वारा अभ्यर्थियों को कूटरचित नियुक्ति पत्र बनाकर दे देते है। जब कुछ दिन बाद अभ्यर्थियों की भर्ती वास्तव मे नही हो पाती है तो वे अपना पैसा मागने आते है, जिन्हे डरा धमका कर भगा दिया जाता है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को जनपद अमेठी के थाना मुन्शीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि के अभियोग मे दाखिल कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त अजय पाठक का आपराधिक इतिहासः</u>

1. मु0अ0सं0 86/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुन्शीगंज, अमेठी
2. मु0अ0सं0 255/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि थाना मुन्शीगंज, अमेठी